

EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] No. 53] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2008/चैत्र 13, 1930 DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2008/CHAITRA 13, 1930 [ रा.रा.स.से.दि. सं. 002 [N.C.T.D. No. 002

## PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सं. फा. 56(333)/07/वि.मु./04.—इस सरकार की दिनांक 12 जनवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या फा. 60(63)एस आई/आई ए डी पी/94-95/4907—14 के अधिक्रमण में तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (जे) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विकास विभाग के फल एवं सब्जी विशेषज्ञ श्री ए. पी. सैनी को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

No. F. 56(333)/07/Dev. HQ/04.—In supersession of this Government's notification No. F. 60(63)/S.I./IADP/94-95/4907—14 dated 12th January, 1996 and in exercise of powers conferred by clause 11 read with sub-clause (j) of clause 2 of the Seeds (Control) Order 1983, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. A.P. Saini, Fruit and Vegetable Specialist of Development Department, to be the Licensing Authority for whole area of the National Capital Territory of Delhi.